

520

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण

निग | 3222/II/15

मुकेश माग्वि, उमेश
द्वारा आज दि. 29.9.15 को
प्रस्तुत

रामकिशोर पुत्र नर्वदा प्रसाद ब्रा.
निवासी अजयगढ तहसील अजयगढ
जिला पन्ना (म.प्र.)

..... आवेदक

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

बाबूलाल पिता रामदयाल गुप्ता
निवासी अजयगढ तह. अजयगढ जिला
पन्ना (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल अजयगढ तहसील अजयगढ
जिला पन्ना (म.प्र.) द्वारा सीमांकन प्रकरण कं. 12/2014-15 में
भारित आदेश दिनांक 02.12.14 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व
संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

संक्षिप्त तथ्य

यह कि, अनावेदक बाबूलाल ने कस्बा अजयगढ राजस्व निरीक्षक मण्डल
अजयगढ तहसील अजयगढ जिला पन्ना में स्थित आराजी ख.नं. 47/1/छ
रकबा 0.015 हे. भूमि का सीमांकन किये जाने बावत राजस्व निरीक्षक मण्डल
अजयगढ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर से प्र.कं.
12/2014-15 पर दर्ज कर राजस्व निरीक्षक ने हल्का पअवरी के साथ
दिनांक 2.12.14 को सीमांकन कर राजस्व निरीक्षक मण्डल अजयगढ द्वारा
उक्त सीमांकन प्रतिवेदन की स्वयं के द्वारा पुष्टि की गई । अतएव आदेश
दिनांक 2.12.14 के विरुद्ध आवेदक द्वारा उक्त पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा

रहा है -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3222-दो/2015

जिला पन्ना

रामकिशोर विरूद्ध बाबूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक अजयगढ़ के प्रकरण क्रमांक 12/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 02-12-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के. जिन) सदस्य 31-01-19</p>